जुबेर V/S जुबेर वादी के ग्राम कलवाला

A
6

तारीख हुक्म	296/13 दावा हुक्म की कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16	आज पत्रावली दरखास्त लोक अदालत अधिनियम तथा उसके तहत 2016 कैम्प कलवाला में प्रस्तुत हुई। कैम्प के दौरान मुद्दा में आया पक्षों इस्तेमाल पक्षों के सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।	
	वादी जुबेर पुत्र अब्दुल जलील मेव वो ग्राम कलवाला तह. नगर ने प्रतिवादी जुबेर पुत्र कादरी 2. नूरे मोहम्मद पुत्र कादरी अकबर पुत्र हिसाब जाति मेव नि० ग्राम कलवाला तह नगर के विरुद्ध दावा 188 R.T.A. अन्तर्गत दायर किया है कि वि० ख० सं० 115/0.24 वाले ग्राम कलवाली हि० 1/2 वादी की खातेदारी की आराजी है, जिसमें प्रतिवादी लड़ व तकरार के बल पर नीव खोदकर मकान बनाना चाहते हैं, तथा वादी को जबरन बेदखल करने पर आमादा हैं। यदि प्रति० अपने इरादे में सफल हो गये तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी अतः निवेदन किया है कि प्रति० को अस्थाई स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें कि वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार नीव खोदकर मकान नहीं बनावें, काश्तगत बेदखल नहीं करें।	रमेश अकबर
	दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस तामील तलब किया गया। प्रतिवादी के वाकफ सूचना अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 22.6.11 को उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।	
	पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सं. 2064-69 के खाता सं. 240 में ख० सं० 115/0.24 की बाबत - "फतेह मोहम्मद पुत्र चन्दमान, जुबेर वल्द अब्दुल जलील मेव व हिस्सा का देह खातेदार" दर्ज होना पाया जाता है इस प्रकार वादी विधिवत रजिस्टर्ड खातेदार है, जिसमें प्रतिवादी का कोई हक अधिकार नहीं है, फिर भी वे वादी के कब्जे के हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसका प्रति० ने प्रतिरोध 26 नहीं किया है, जिससे दावा डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है। [illegible]	
	दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को आदेश [illegible] किया जाता है कि वे [illegible] कलवाला तह. नगर में वादी के कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, निर्माण नहीं। इसी प्रकार पक्षों डिक्री जारी हो। पत्रावली कैम्प मुताबिक अग्रेतर कार्यवाही हो।	

(8/10/16)
(रामलाल मीना)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा० कलक्टर

180
22.8.16

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 15:18:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner